क्रम-संख्या-197

रजिस्ट्रेशन नम्बर एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/स०पी०-91/2008-10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 15 जून, 2010
ज्येष्ठ 25, 1932 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
परिवहन अनुभाग–1

संख्या 168/तीस-1–2010-5(8)-09
लखनऊ, 15 जून, 2010

अधिसूचना

प०आ०–374

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन राज्यपाल सर्वसाधारण की सूचना के लिए अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजन अर्थात् जिला कौशाम्बी में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम बस स्टेशन एवं डिपो की स्थापना हेतु आवश्यकता है।

2–चूँकि राज्यपाल की राय है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उक्त भूमि पर लागू होते हैं, क्योंकि उक्त भूमि की जिला कौशाम्बी में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम बस स्टेशन एवं डिपो की स्थापना हेतु आत्ययिक आवश्यकता है और इस आत्ययिकता की दृष्टि से यह भी आवश्यक है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-क के अधीन जाँच करने में सम्भावित विलम्ब को विवर्जित किया जाए। अतएव, राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन अग्रतर निदेश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 5-क के उपबन्ध लागू नही होंगे।

टिप्पणी–अधिसूचना में उल्लिखित अनुसूची अंग्रेजी अनुवाद के साथ नीचे दी गयी है।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 168/XXX-1-2010-5 (8)-09, dated June 15, 2010 for general information :

No. 168/XXX-1-2010-5 (8)-09

Dated Lucknow, June 15, 2010

UNDER sub-section (1) of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act no. 1 of 1894), the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below, is needed for a public purpose namely, for the establishment of the Uttar Pradesh State Road Transport Corporation Bus station and Depot in District Kaushambi.

2. The Governor Being of the opinion that the provisions of sub-section (1) of section 17 of the said Act, are applicable to the said land inasmuch as the said land, which is waster or arable is urgently required, for the establishment of the Uttar Pradesh State Road Transport Corporation Bus station and Depot and in view of the pressing urgency it well be necessary to eliminate the delay likely to be caused by an inquiry under section 5-A of the said Act, the Governor is further pleased to direct under sub-section (4) of section 17 of the said Act that the provisions of section 5-A of the Acts shall not apply.

अनुसूची
SCHEDULE

जिला District	परगना Pargana	ग्राम Village	गाटा संख्या Plot no.	अर्जित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) Area to be acquired (In Hectares)	
1	2	3	4	5	
कौशाम्बी Kaushmbi	करारी Karari	पाता Pata	1921 M	0.171	
			1923 M	0.121	
			1924	0.114	
			1925	0.137	
			1926	0.182	
			1927	0.034	
			1928/1	0.129	
			1929	0.126	
			1930/1 M	0.148	
			1938/1	0.091	
			1939/1	0.011	
			1942/1	0.121	
			1943	0.091	
			1944	0.023	
			1945	0.046	
			1946	0.080	
			1947	0.103	
			1948	0.091	
			1949	0.046	
			1950	0.137	
			1951	0.137	
			1952	0.137	
			1953	0.103	
			1954	0.080	
			1955	0.137	
			1956 M	0.048	
			1957/1	0.087	
			1958/1	0.029	
			1983/4	0.091	
			योग Total	2.851	हेक्टेयर Hectares

किस प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—जिला कौशाम्बी में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम बस स्टेशन एवं डिपो की स्थापना हेतु।

For what purpose required :– For the for the establishment of the Uttar Pradesh State Road Transport Corporation Bus station and Depot.

टिप्पणी :– उक्त भूमि का स्थल नक्शा जिला कौशाम्बी के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

NOTE :– A site plan of the land may be inspected in the Office of the Collector Kaushambi.

आज्ञा से,
माजिद अली,
प्रमुख सचिव।

By order,
MAJID ALI,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 228 राजपत्र (हि०)—2010—(499)—597+2 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी० / आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 2 सा० परिवहन—2010—(500)—100 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी० / आफसेट)।